International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.356-364

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण

डॉ. मुहम्मद जावेद*

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पास किया (National Rural Employment Gurantee Act)। 2 फरवरी 2006 से देश में इसे लागू कर दिया गया है। इसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) National Rural Employment Gurantee Scheme के नाम से भी पुकारते या जाना जाता है। यह बजट के आधार पर विश्व की एक सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। वर्ष 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया है, Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act कर दिया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार के सदस्य को रोजगार प्रदान करना है, जो काम करने के इच्छुक हो। ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत परिवार के व्यसक सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, उनको कार्य दिया जाता है। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति के लिखित या मौखिक माँग पर 15 दिन के अन्दर रोजगार कार्ड या जॉब कार्ड देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ऐसा न होने पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। सामान्य रूप से गाँव के पाँच किलो मीटर के दायरे में काम दिये जाने की शर्त है। यह शर्त पूरी नहीं होने पर अतिरिक्त परिवहन और खाने–पीने के खर्चे को पूरा करने के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन का व्यय 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकारो को वहन करना पड़ता है। इसमें 30 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार पाने का एक गारंटीयुक्त अधिकार मिल गया है। इससे इन लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, जिसका परिणाम यह कि पलायन को रोकने व शहरीकरण की गति धीमी पड़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं पुरानी अस्थाई सम्पत्तियों के रख–रखाव का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है।

Lohdk;l dk;l

निम्नांकित तरह के कार्यों को रोजगार गारंटी कानून के तहत स्वीकार्य माना गया है –

- जल संरक्षण एवं संचय;
- सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण;
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण;
- व्यक्तिगत जमीन में सिंचाई सुविधाएँ; भूमि विकास एवं बागवानी बागान का कार्य;
- परम्परागत जल स्रोतों के नवीकरण एवं जलाशयों से गाद की निकासी;
- भूमि विकास;
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ, जिनमें जल–जमाव क्षेत्र से पानी की निकासी भी शामिल है;
- गाँवों में हर मौसम में आवाजाही के लिए सड़क निर्माण;

* एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, शिब्ली नेशनल कालेज, आज़मगढ, उ.प्र.।

- राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य। जैसे नवम्बर 2009 में, हर पंचायत में "राजीव गाँधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र और पंचायत भवन" बनाने का प्रावधान स्वीकार्य कार्य की सूची में जोड़ा गया।

व्यक्तिगत जमीन पर कार्य की अनुमति उसी स्थिति में दी जा सकती है, यदि जमीन इनमें से किसी श्रेणी में पड़ने वाले व्यक्ति की हो : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंदिरा आवास योजना या भूमि सुधार के लाभार्थी, छोटे और सीमांत किसान। छोटे और सीमांत किसानों की जमीन पर कार्य तभी प्रारम्भ किए जा सकते हैं, जब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जमीन पर संभव सभी कार्य पूरे हो चुके हों।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन युग में जब ग्रीस तथा मिश्र साम्राज्य की वृद्धि हुई, तो वहाँ के राजाओं ने राजकीय हिसाब–किताब की जाँच हेतु अंकेक्षण का प्रबन्ध किया था, तभी से अंकेक्षण का उदय हुआ। जब प्रथम व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सन्देह होता है, तब अंकेक्षण जन्म लेता है। Auditing शब्द लेटिन भाषा के 'Audire' शब्द से बना है। जिसका आशय है, "To hear" सुनना है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्णित है कि 'लेखों की जाँच तथा राजकीय धन के गवन के विषय में निश्चित व्यवस्था थी।' जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है, अंकेक्षण प्रारम्भ होता है (Where Accountancy ends, Auditing begines)। सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण का पूरक है। समय की माँग ने सामाजिक अंकेक्षण को जन्म दिया। पूंजीवाद जब अपने चरम पर था, तो पूंजीपतियों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना, उसे समाज से कोई सरोकार नहीं था। इसी सन्दर्भ में में बनडि शाँ का कथन है कि "एक पूंजीपति में आत्मा नहीं होती है। उसका लक्ष्य केवल लाभार्जन करना ही है और स्वर्ण ही उसका ईश्वर है।" लेकिन रूस में क्रान्ति उपभोक्ता आन्दोलन, शिक्षा में प्रचार प्रसार ऐसी मनोवृत्ति को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। सामाजिक अंकेक्षण व्यावसायियों के मानसिकता में परिवर्तन लाना है तथा यह बोध कराना हे कि लाभ ही सब कुछ नहीं है।

lkekftd vads{k.k ls rkRi;Z

सामाजिक अंकेक्षण किसी संस्था के सामाजिक दायित्व के निर्वहन एवं नैतिक काम काज को समझने, मापने एवं अभिलेखित करने की एक प्रक्रिया एवं माध्यम है। दूसरे शब्दो में हम उसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि "यह संस्थाओं की सामाजिक कार्यक्षमता को समझने एवं जाँचने की एक तकनीक है। सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग मुख्यतः स्थानीय शासन को सुगठित करने के उद्देश्य से किया जाता है। विशेषकर स्थानीय निकायों में पारदर्शिता लाने एवं उत्तरदायित्व को मजबूत करने में उपयोग करना आदि।"

lkekftd vads{k.k dh izfØ;k

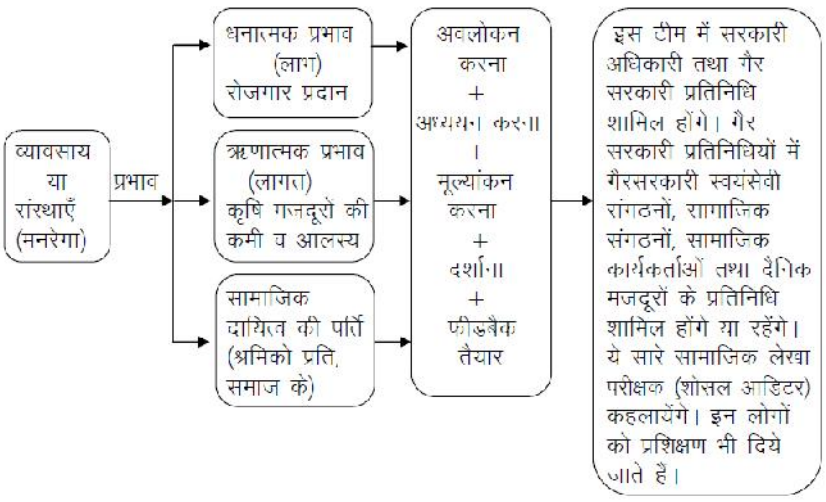

प्रश्न यह उठता है कि जब ग्राम पंचायत के लेखों को पहले से ही एक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की व्यवस्था है, तो फिर सामाजिक अंकेक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ गयी। इसका जवाब यह है कि वह वित्तीय लेखा परीक्षा है, जिसमें केवल वित्तीय लेन–देन की जाँच होती है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण में प्रसंगिता, प्रयोजन और परिणामों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण उन लोगों द्वारा किया जाता है, जिनके लिए कार्यक्रम चलाया गया है तथा खर्च किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण में कागजों और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ लाभ कार्य को गुणवत्ता की भी जाँच होती है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायत को उपयोगी सुझाव एवं प्रतिक्रिया (फीडबैक) उपलब्ध कराती है। सामाजिक अंकेक्षण एक घटना न होकर एक प्रक्रिया के रूप में है।

lkekftd vd{k.k dk mnn';

- स्थानीय विकास हेतु संसाधनों एवं आवश्यकताओं में भौतिक एवं आर्थिक कमियों को मूल्यांकित एवं रेखांकित करना।
- संस्थाओं से जुड़े, लाभार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना।
- स्थानीय विकास के कार्यक्रमों की कुशलता एवं प्रभाव में वृद्धि करना।
- विभिन्न नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करना।
- संस्था से जुड़े लाभार्थियों एवं जनता को जो सेवाएँ प्राप्त नहीं होती हैं, उनको प्रदान करने का अवसर प्रदान करना (सूचनाएँ)।
- संस्था में उत्पन्न भ्रष्टाचार को उजागर करना तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आधार प्रदान करना।

मनरेगा से जुड़ी कम से कम आधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत इस मामले (मनरेगा) में भी अन्य मामलों की तरह ग्रामसभा की प्रत्यक्ष भूमिका है। जैसे उपयोगी कार्यो की पहचान करना, सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न करना ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी (बी0पी0ओ0) कहते हैं। ब्लाक स्तर पर मनरेगा का मुख्य समन्वयक है।

सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभा द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा होती है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहो, नेहरू युवा केन्द्रों, विभिन्न एन0जी0ओ0 व शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध व्यक्ति (शिक्षाविद) तथा बुद्धजीवियों का एक स्वतन्त्र समूह कठित किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण पचायतीय राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर कमेटी गठित करके किया जाता है। ये कमेटियाँ अस्थायी होती है, परन्तु अंकेक्षण हेतु कार्यक्रम/योजनाओं की प्रवृति के आधार पर निर्धारित होती है। सामाजिक अंकेक्षण समिति के सदस्य कार्यक्रम के सहभागी सदस्यों के बीच से होती है। सभी फैसिलीटेटर्स एवं सामाजिक अंकेक्षण के सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

मनरेगा की कार्य प्रणाली को समझे बिना उसमें सामाजिक अंकेक्षण को समझना अत्यन्त कठित है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन की शुरूआत परिवारों के पंजीकरण और जॉब कार्ड वितरण से होती है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण, जॉब कार्ड, रजिटर, मस्टर रोल, आदि विषय में जानकारी करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेजों को संधारित करना होता है – रोजगार गारंटी रजिस्टर, मस्टर रोल एवं जॉब कार्ड, आदि।

ithdj.k dl dj

जॉब कार्ड पाने के लिए प्रत्येक परिवार को मनरेगा के अन्तर्गत निम्न रूप से पंजीकृत किया जाता है–

- पंजीकरण हेतु आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय (प्रधान या सचिव) को दिया जाता है।
- आवेदन में परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाता है।

- आवेदन सादे कागज या प्रपत्र (फार्म) पर दिया जाता है।
- ग्राम पंचायतो को मौखिक आवेदन भी स्वीकार करती है या करने का प्रावधान है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों के कार्यालय में साल भर जारी रहती है।

lR;kiu

पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ग्राम पंचायत को तुरन्त इसका सत्यापन शुरू कर देती है। इसके अन्तर्गत निम्न सत्यापन किया जाता है –

- आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है।
- सभी आवेदक व्यवस्क है।
- वह एक ही परिवार के सदस्य हैं।

सत्यापन के सभी परिवारों का नाम 'पंजीकरण रजिस्टर' में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक अलग पंजीकरण नम्बर दिया जाता है।

tkWc dkMZ

जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आवेदन के 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड निर्गत किया जाना आवश्यक है। जॉब कार्ड पर प्रत्येक व्यवस्क का फोटो लगाया जाना आवश्यक है। जॉब कार्ड निःशुल्क दिया जाना है। जॉब की अवधि 5 वर्ष होती है। जॉब कार्ड कुछ आवश्यक प्रविष्टिया अवश्य होनी चाहिए। जैसे– जॉब कार्ड नम्बर, निर्गत करने की तारीख, निर्गत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर आदि। जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिससे पारदर्शिता बनाए रखने और मजदूरों को धोखाधड़ी से बचाने में सहायता मिलती है। जॉब कार्ड किसी भी परिस्थिति में मजदूरों के पास ही रहना चाहिए। यदि कोई और जबरन मजदूरों का जॉब कार्ड लेकर रखता है, तो यह कानून अपराध है।

eLVj jksy ¼gkftjh jftLVj½

मस्टर रोलस हाजिरी दर्ज करने वाले कागज के उन पन्नों की तरह होते हैं, जिसमें सप्ताह विशेष के दौरान किसी कार्यस्थल पर काम में लगे श्रमिकों के नाम और उनके भुगतान की गई मजदूरी का विवरण दर्ज होता है। मस्टर रोल के आकड़ों के आधार पर ही ग्राम पंचायत के मनरेगा खाते से मजदूरी के भुगतान के धनराशि निकाली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनरेगा में 60 प्रतिशत धन श्रम पर व्यय किया जाता है। अतः मस्टर रोल का पारदर्शी होना आवश्यक है।

काम शुरू होने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को विशेष पहचान संख्या वाला मस्टर रोल प्रदान किया जाता है। सभी कामों के लिए एक विशिष्ट संख्या दी जाती है। मस्टर रोल मजदूरों की हाजरी एवं बकाया मजदूरी का एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है।

- मस्टर रोल कार्य स्थल पर उपलब्ध रहना चाहिए तथा इसे कार्य स्थल पर ही भरा जाना चाहिए। कार्य स्थल पर मस्टर रोल सधारण के लिए एक प्रशिक्षित भेट होता है।
- भुगतान लेते वक्त मजदूरों को अवश्य हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना चाहिए।
- मस्टर रोल से छेड़छाड़ करना एक अपराधिक मामला है। मूल मस्टर रोल आवश्यक कार्य रिकार्ड का हिस्सा है। कार्यक्रम अधिकारी, बैंक, आदि को डेटा एन्ट्री या अन्य किसी भी कारणों से मस्टर रोल की छाया प्रति की आवश्यकता पड़ सकती है।

iathdj.k	• क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी से पूरी की गई है? • क्या इसके लिए ग्रामसभा की बैठक हुई? • क्या पंजीकृत लोगों का नाम ग्रामसभा में सत्यापन हेतु पढ़कर सुनाया गया?
tkWc dkMZ forj.k	• क्या पंजीकरण के एक माह के अन्दर भी जॉब कार्ड नहीं दिया गया? • क्या ग्राम पंचायत कार्यालय में पूरे वर्ष पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है?

dke dk vkonu	• क्या आवेदकों को तिथि अंकित कर प्राप्ति रसीद दी जा रही है? • क्या महिलाओं का 33 प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है? अथवा नहीं? • क्या कोई काम का आवेदन लंबित है?
dk;l dh Lohdfr	• क्या कार्य को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामसभा की बैठक बुलाई गई? • क्या इन प्राथमिकताओं का पालन किया गया?
dk;l dk fØ;kUo;u	• क्या कार्यस्थल पर मस्टर रोल रखा गया है? • क्या कार्यस्थल पर सूचना पट उपलब्ध है? • क्या आवश्यक सुविधाएँ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई गई है? • क्या निगरानी समिति के सदस्यों ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है?
etnjh Hkqxrku	• क्या 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान किया गया? • क्या सभी भुगतान सम्बन्धी रिकार्ड, जनता द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध कराए गये हैं? • क्या कार्ड भुगतान बाकी है? हाँ तो क्यों? • क्या न्यूनतम मजदूरी से वंचित किये जाने का कोई मामला सामने आया है?

lkekftd ifØ;k

मनरेगा कानून की एक प्रमुख विशेषता यह कि इसमें सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का प्रावधान किया गया है। इस अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है, मनरेगा के कार्यों को जनता के समक्ष जाँच के लिए प्रस्तुत करना है। जैसे– मस्टर रोल का सत्यापन, कार्य स्थल का निरीक्षण, जॉब कार्ड तथा जिम्मेदार पदाधिकारियों से पूछताछ, ग्राम पंचायत का यह वैधानिक दायित्व है कि वह ग्रामसभा द्वारा मनरेगा के कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करवाये। मनरेगा कानून में सामाजिक अंकेक्षण के दो प्रकार का प्रावधान है।

- मनरेगा के क्रियान्वयन के हर चरण में लगातार जन–निगरानी, निगरानी समिति, ग्राम सभा, जनुनवाई तथा अन्य तरह की जनभागीदारी से सामाजिक अंकेक्षण करना।
- एक आम बैठक का आयोजन (ग्रामसभा), जिसमें मनरेगा योजनाओं से सम्बन्धित सभी पहुलुओं की जाँच करना। इसे दूसरे शब्दों में 'सोशल आडिट फोरम' के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यह फोरम, सामाजिक अंकेक्षण के लिए बुलाई जाने वाली विशेष ग्रामसभा है। मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामसभा की प्रत्येक 6 महीने में 'सोशल आडिट फोरम' की बैठक बुलाना अनिवार्य है।

एक सफल सोशल आडिट फोरम के लिए पहले से तैयारी और प्रचार की आवश्यकता होती है। जैसे इस बैठक का व्यापक प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए, जानकारी के लिए दस्तावेजों को पहले से ही उपलब्ध करा देना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होना चाहिए। बैठक कार्यवाही को सावधानी पूर्वक दर्ज करना चाहिए।

सोशल आडिट फोरम के लिए एक 'अनिवार्य एजेंडा' का प्रावधान है। प्रत्येक सोशल आडिट फोरम में कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा अवश्य होती है। इसका उद्देश्य यह जाँच करना है कि मनरेगा के कार्यो के क्रियान्वयन में कानून एवं दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधानों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इस अनिवार्य एजेंडा में 72 बिन्दु है। इस प्रकार यह सूची बहुत ही लम्बी है। आसानी के लिए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस फोरम में मनरेगा से जुड़े कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं को लोगों के सामने साफ–साफ पढ़ा जाता है तथा इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया निम्न रूप में देते हैं –

- अतिरिक्ता सूचना की माँग कर;
- मनरेगा कर्मियों से सवाल पूछ कर;
- दस्तावेजों का सत्यापन कर;
- लेखा–जोखा विवरण की जाँच कर;

- मजदूरों के अधिकारों के हनन की पहचान कर;
- मनरेगा के कार्यो की गुणवत्ता की जाँच कर;
- अपनी शिकायत दर्ज कर।

lkekftd vad{k.k dh fo"k; oLrq

- सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी।
- सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 30 दिन पहले की जाती है।
- ग्रामसभा द्वारा उन लाभार्थियों का जिन्होंने ग्राम पंचायत में मनरेगा कानून के अन्तर्गत पहले और वर्तमान में कार्य किया है। वे ग्रामसभा अंकेक्षण समिति का चयन करेंगे, सामाजिक अंकेक्षण समिति में 1/3 सदस्य महिलाएँ होगी।
- कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायत में कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यों की सम्पूर्ण फाइलों सहित सभी दस्तावेज और उनकी प्रतिभा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक सुरक्षा समिति को 15–20 दिन पहले सभी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी प्रदान करेगी।
- सामाजिक सुरक्षा समिति सभी दस्तावेजों एवं जानकारियों का सत्यापन करती है।
- कोई भी व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा समिति कोई सुसंगत जानकारी प्रदान कर सकता है।
- कार्यक्रम अधिकारी लिखित रूप में प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों जो मनरेगा के कार्यो का क्रियान्वयन कर रहे हैं, को समय पूर्व अधिसूचित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है, उन्हें सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिससे कि वह समय पर उपस्थित रहे।
- सामाजिक सुरक्षा समिति ग्रामसभा में सार्वजनिक रूप से निष्कर्षों को पढ़कर सुनायेगी तथा अभिलेखों का सत्यापन करेगी।
- पूर्व सामाजिक अंकेक्षण से सम्बन्धित की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण के प्रारम्भ में पढ़ी जायेगी।
- सचिव द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में उपस्थित और भाग लेने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिये जाते हैं।
- सामाजिक अंकेक्षण जनता की भागेदारी के लिए खुली होती है। ग्रामसभ से भिन्न कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप किये बिना एक प्रेक्षक रूप में उपस्थित हो सकता है।
- सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के अन्दर फाइल की जायेगी।
- मनरेगा के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई निष्कर्ष शिकायत के रूप में समझा जायेगा। इस प्रकार किसी विवाद के लिए जाँच संचालित की जायेगी।
- किसी निधि में गवन से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा निधियों की वसूली में तेजी लाई जायेगी।
- मनरेगा के लेखाओं का प्रमाणन करते समय सरकारी अंकेक्षण से पूर्व (लेखाओं का सत्यापन से पूर्व) सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा उठाई गई, वित्तीय अनियमितताओं अथवा किसी शिकायत का संज्ञान लिया जायेगा।
- सार्वजनिक धन के उचित उपयोग, मजबूत व कार्यों की गुणवत्ता आदि के जाँच का अधिकार जनता की है। इस अंकेक्षण के द्वारा जनता जब चाहे खर्चों का हिसाब एवं कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कर सकती है।

- सामाजिक अंकेक्षण का कार्य एक व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को सबसे पहले जागरूक बनाया जाता है। इसके लिए ग्रामसभा एक उपयुक्त मंच है। इसी ग्रामसभा के द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।
- इसके अन्तर्गत, नापतौल, वजन, सामग्री की गुणवत्ता आदि का पूर्ण विवरण जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- इसके अन्तर्गत मजदूरों का कार्य दिवस व मजदूरी भुगतान का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है।
- विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जाँच के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं, जैसे जॉब कार्ड, मस्टर रोल।
- कार्य करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवा समूहों, शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य व बुद्धजीवियों इस अंकेक्षण में सम्मिलित होते हैं।
- इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा की अनियमित्ताओं, गवन व भ्रष्टाचार से सम्बद्ध वालों का उत्तर देने का मौका देना है।

lkekftd vd{k.k ,o ikjnf'kZrk

- प्रत्येक कार्य के सम्पादन, निरीक्षण, गुणवत्ता, प्रगति के लिए ग्राम स्तर पर एक सतर्कता समिति का गठन किया जाना रहता है।
- सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा मनरेगा को प्रभावी क्रियान्वयन तथा भ्रष्टाचार से युक्त रखने के लिए, राजस्व ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर सशक्त निकरानी तन्त्र की व्यवस्था प्रदान करती है।
- ग्रामसभा की प्रत्येक त्रैमासिक मीटिंग में कुछ खास बातों की जानकारी दी जाती है, जैसे– रोजगार की माँग, पंजीयन, जॉब कार्ड, कार्य करने वालों की सूची तथा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।
- भुगतान की राशि, अकुशल मानव श्रम, कुशल श्रम, कार्य दिवस, कार्य पूरा करने में लगा समय मस्टररोल की प्रतिया तथा सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट आदि ग्रामसभा के सामने रखी जाती है।
- योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों के क्रमानुसार (वर्ग) जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं जनसामान्य वर्ग के लोगो को दिये गये रोजगार दिवसों (कितने दिन कार्य किये हैं) की पूर्ण जानकारी प्रदान करना आदि।
- योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली महिलाओं एवं विकलांगों ो प्रदान किये गये रोजगार दिवसों की जानकारी प्रदान करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत योजना में कार्यस्थल पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, जैसे– दवा, पीने का पानी, बच्चों के लिए पाक्का घर तथा शेड आदि की व्यवस्था की जानकारी व इससे सम्बन्धित व्ययों की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
- इस सामाजिक अंकेक्षण में पायी गई कमियों को सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक और मनरेगा गारंटी परिषद को भेजा जाता है।
- मनरेगा के समस्त प्रपत्रों जैसे जॉब कार्ड, मस्टर रोल कार्य दिवसों व अन्य कार्यो का विवरण आदि को कम्प्यूटराइज्ड करके इन्टरनेट पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे पादर्शिता उत्पन्न होती है।

'Auditor is a Watch Dog and not a Bloodhound' अंकेक्षक एक पालतू कुत्ता है, न कि शिकारी। इस कथन का अर्थ यह है कि पालतू कुत्ता से आशय केवल देखने से है तथा शिकारी कुत्ता से अर्थ है, अपने शिकार को पकड़ने से (छपटने से) है। इस सन्दर्भ में एक बड़ी रोचक कहानी है। दो दोस्त थे, उनमें एक

मुर्ख था तथा दूसरा अकलमन्द था। अकलमन्द के पास अपना घोड़ा था। एक दिन अकलमन्द दोस्तअपने मूर्ख दोस्त को घोड़े पर बैठा कर एक गाँव गया। वहाँ पर पहुँचने पर उसने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बाँधकर अपने मूर्ख दोस्त से यह कहा कि तुम यही रूकों और घोड़े को देखते रहना मैं अभी थोड़ी देर में किसी परिचित से मुलाकात कर वापस आता हूँ और तब वापस चलेगें। वहीं पर कुछ चोर यह बात सुन रहे थे। चोरो ने देखा कि यह व्यक्ति तो मूर्ख लगता है तथा हम इस परिस्थित का फायदा उइाकर क्यों न घोड़े को ले लें। चोरों ने बधे हुए घोड़े को खोला और लेकर चले गये। जब अकलमन्द वापस आया तो देखा कि घोड़ा गायब है। उसने अपने मूर्ख दोस्त से पूछा कि घोड़ा कहा गया? तो उसके मूर्ख दोस्त ने जवाब दिया कि कुछ लोग आये और उसे खोलकर लेकर चले गये। तो उसने कहा कि तुमने रोका नहीं तो उसने जवाब दिया कि तुम्ही ने तो कहा था कि घोड़े को देखते रहना और जब तक वह मुझे दिखाई दिया मैं देखता रहा। यही हाल आज सभी प्रकार के अंकेक्षण व अंकेक्षण का है। इसी क्रम में समाजिक अंकेक्षण का भी है। इसका भी परिणाम सफेद हाथी सिद्ध होता है।

ज्यादतर ग्रामीण जनता, पंच तथा सरपंच आदि अनपढ़ है, वे लेखा प्रणाली, लेखा संधारण की प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा कानून के प्रावधानों तथा दिशा–निर्देशों को नहीं जानने के कारण जाने अनजाने में उनसे गलतियाँ होती रहती है। यह भी स्पष्ट है कि नौकरशाह, प्रशासनिक अधिकारी पंचायत सचिव (ग्राम सेवक) तथा ठेकेदार आदि गलतियाँ करते रहते हैं। श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में अनेक अनियमितताएँ मिलती हैं। मस्टर रोल जिसे श्रमिकों के नाम और उपस्थिति का अभिलेख माना जाता है। इसमें जोड़–तोड़ करने की जगह होती है। कुछ मामलों में तो जोड़–तोड़ कर बनाया हुआ एक दस्तावेज भर होता है, जिसका एक मात्र उद्देश्य ग्राम पंचायत के खाते से पैसा निकालना होता है।

अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को वर्ष में कम से कम सौवे दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान कर उनके जीवन में आशा की किरन पैदा कर दिया है। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है, जो एक सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में स्वर्गीय राजीव गाँधी ने कहा था कि "अगर केन्द्र से गाँव के विकास के लिए एक रुपया भेजा जाता है, तो गाँव तक मात्र 15 पैसे तक पहुँच पाता है, शेष 85 पैसा भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है अर्थात बीच में लोग डकार जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व राहुल गाँधी ने भी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह कहा था कि 'अब तो केन्द्र से एक रुपया भेजा गया, गाँव तक मात्र 6 पैसे ही पहुँच पाता है, शेष बीच में ही लोग डकार जाते हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि मनरेगा भी भ्रष्टाचार से कैसे बच सकती है। वह भी सामाजिक अंकेक्षण का सहारा लेकर। अंकेक्षण की अपनी भी सीमाएँ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनरेगा में अभिलेखों की काल कोठरी है अर्थात ऐसी चलनी है, जिसमें छेद ही छेद है। यदि सरकारी मशीनरी, प्रधान तथा समाज सेवी संगठन, जनता जागरूक होकर इस योजना का क्रियान्वयन करें, तभी जाकर सामाजिक अेंक्षण अपनी सही भूमिका निभा सकती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये बिना यह योजना सफल नहीं हो सकती है। अतः इस योजना को सफल बनाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण के महत्व पर अधिक बल देने तथा दोषियों के खिलाफ अधिक कठोर दण्ड की व्यवसीा करनी होगी। आज के परिवेश में जब कोविड–19 अपना भयावह रूप दिखा रहा है, ऐसे में लोग बेरोजगार होकर अपने घरों को गाँवों में आ रहे है या आ गये हैं। उन लोगों को गाँवों में ही रोजगार प्रदान करने में मनरेगा एक मात्र सहारा बनकर सामने आयी है। अतः मनरेगा में सुधार कर इससे लाभ उइाने का एक अवसर हम सबके सामने हैं।"

lUnHk xUFk lph

¤ चन्द्रभान यादव : मनरेगा और पंचायती राज, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अक्टूबर 2010, पेज 14–18।

¤ विनीत कुमार : पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अक्टूबर 2010, पेज 47–49.

¤ रघुवंश प्रसाद सिंह : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के दो साल, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2008, पेज 7–10।

¤ ललित माथुर : नरेगा के वादे पर अमल, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त 2008, पेज 11–13।

¤ गोपीनाथ घोष : पारदर्शिता के लिए जरूरी सामाजिक अंकेक्षण, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त 2008, पेज 39–41।

¤ रीतिका खेड़ा : अभिलेखों की कालकोठरी, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त 2008, पेज 31–35।

¤ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, रोजगार पुस्तिका, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, महात्मा गाँधी नरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ, 2011।

❖◆❖